उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता
विद्युत द्वितीय कार्य मण्डल
132 केवी उपसंस्थान परिसर,
हाईडिल कालोनी, काठगोदाम (हल्द्वानी)
कार्यालय फोन न0 : 292321
E-Mail dgmhsw.upcl@yahoo.com

Office of the Superintending Engineer
Electricity Secondary Works Circle
132 KV S/s Campus, Hydel Colony
Kathgodam (Haldwani)
Office Phone No. 292321

No.सं0 ESWC(H)/ विद्विकामं(ह) /

Dated दिनांक : 14/09/2026

कार्यालय–आदेश
(काली सूची में डालने हेतु)

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि मैसर्स दुर्गा इन्टरप्राइजेज, जगदम्बा नगर, हल्द्वानी द्वारा अनुबन्ध संख्या **06/ESWC/2010-11** दिनॉक 28 मार्च,2011 जो कि 220 के0वी0 उपसंस्थान, महुवाखेड़ागंज से खड़कपुर देवीपुरा(उधमसिंह नगर) तक 11.0 कि0मी0 33 के0वी0 डबल सर्किट लाइन का निर्माण कार्य किये जाने हेतु अनुबन्धित है पर अनुबन्ध की शर्तों का गम्भीर उल्लंघन किया गया, जिस कारण कारपोरेशन को कुल रू0 58,42,344.67 धनराशि की वित्तीय हानि हुयी है। प्रकरण पर कारपोरेश्न द्वारा गठित जॉच समिति द्वारा प्रस्तुत जॉच आख्या में कार्यदायी संस्था मैसर्स दुर्गा इन्टरप्राइजेज, जगदम्बा नगर, हल्द्वानी के प्रो0 श्री त्रिभुवन जोशी के विरूद्ध विधिक कार्यवाही किये जाने हेतु किये गये अनुमोदन पर निदेशक (वितरण एवं परियोजना), उपाकालि, देहरादून द्वारा पत्र संख्या 817/निदेशक (वितरण एंव परियोजना)/उपाकालि/जॉच दिनांक 03.09.2026 से की गयी संस्तुति के उपरान्त मैसर्स दुर्गा इन्टरप्राइजेज, जगदम्बा नगर, हल्द्वानी के विरूद्ध निम्नलिखित दण्डात्मक कार्यवाही तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है :–

1. मै0 दुर्गा इन्टरप्राइजेज, जगदम्बा नगर, हल्द्वानी को उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड में टेन्डर एवं कार्यों में भाग लेने हेतु 3 (तीन) वर्ष के लिये प्रतिबन्धित (Debar) किया जाता है।
2. मैसर्स दुर्गा इन्टरप्राइजेज, जगदम्बा नगर, हल्द्वानी जिला–नैनीताल द्वारा इस कार्यालय में बन्धक रखी गयी धरोहर धनराशि (FDR) को अनुबन्ध की शर्तों के तहत पूर्ण रूप से विभागीय खाते में जब्त (Fotfiet) किया जाता है।
3. मैसर्स दुर्गा इण्टरप्राइजेज द्वारा अनुबन्ध की शर्तो का उल्लंघन किये जाने के कारण विभाग को हुई क्षति की पूर्ति हेतु समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड से उनकी इकाईयों में मैसर्स दुर्गा इण्टरप्राइजेज, जगदम्बा नगर, हल्द्वानी जिला–नैनीताल के लम्बित देयकों से वसूली किये जाने हेतु आदेश पारित किये जाते हैं।

अमित कटारिया
अधीक्षण अभियन्ता

No.सं0 777 ESWC(H)/ विद्विकामं/ह/

Dated दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. निदेशक (वितरण एंव परियोजना), उपाकालि, वि0का0वि0ग0सिं0,ऊ0भ0, कांवली रोड, देहरादून।
2. अधिशासी निदेशक (मा0सं0), उपाकालि, वि0का0वि0ग0सिं0,ऊ0भ0, कांवली रोड, देहरादून।
3. मुख्य अभियन्ता (परियोजना), उपाकालि, हल्द्वानी।
4. समस्त आहरण एंव वितरण अधिकारी, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड, को उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. अधिशासी अभियन्ता (सूचना प्रौद्योगिकी), उपाकालि, वि0का0वि0ग0सिं0,ऊ0भ0, कांवली रोड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि पत्र को कारपोरेशन की विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।

(अमित कटारिया)
अधीक्षण अभियन्ता